



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-247942
CG-DL-E-10082023-247942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3405]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 3405]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2023

का.आ. 3558(अ).—प्रबंध प्राधिकारी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ड की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता के संबंध में धारा 49ज, धारा 49झ, धारा 49ञ, धारा 49ट, धारा 49ठ तथा उनके अधीन बने नियमों द्वारा, इसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित करता है, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी, जिसे प्रत्यायोजन किया गया है	अधिकारिता (क्षेत्रीय)
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक वन महानिरीक्षक और क्षेत्रीय उपनिदेशक, उत्तरी क्षेत्र, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र से उद्भूत होने वाली अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने।
2.	सहायक वन महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से उद्भूत होने वाली अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने।

3.	सहायक वन महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक, पूर्वी क्षेत्र, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्य से उद्भूत होने वाली अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों का नमूने।
4.	सहायक वन महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना राज्य और पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र से उद्भूत अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों का नमूने।
5.	सहायक वन महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक, मध्य क्षेत्र, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य से उद्भूत होने वाली अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों का नमूने।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/9/2023/डब्ल्यू एल]

डा. सत्य प्रकाश यादव, अपर वन महानिदेशक और प्रबंध प्राधिकारी

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2023

S.O. 3558(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 49E of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Management Authority, with approval of Central Government, hereby delegate its powers and functions conferred on it under sections 49 H, 49-I, 49 J, 49 K, 49 L and rules made thereunder to the person specified under column (2) of the Table below in respect of jurisdiction in the corresponding entry under column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial number	Officers to whom delegated	Jurisdiction (Territorial)
(1)	(2)	(3)
1.	Assistant Inspector General of Forests and Regional Deputy Director, Northern Region, Wild Life Crime Control Bureau;	The specimen of species listed in Schedule IV originating from the State of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan and Union Territory of Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh.
2.	Assistant Inspector General of Forests and Regional Deputy Director, Western Region, Wild Life Crime Control Bureau;	The specimen of species listed in Schedule IV originating from the State of Maharashtra, Gujarat, Goa and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	Assistant Inspector General of Forests and Regional Deputy Director, Eastern Region, Wild Life Crime Control Bureau;	The specimen of species listed in Schedule IV originating from the State of West Bengal, Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Bihar, Tripura, Mizoram and Manipur.
4.	Assistant Inspector General of Forests and Regional Deputy Director, Southern Region, Wild Life Crime Control Bureau;	The specimen of species listed in Schedule IV originating from the State of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Telangana, and Union Territory of Pondicherry, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands.
5.	Assistant Inspector General of Forests and Regional Deputy Director, Central Region, Wild Life Crime Control Bureau;	The specimen of species listed in Schedule IV originating from the State of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha.

[F. No. WL-1/9/2023-WL]

Dr. SATYA PRAKASH YADAV, Addl. Director General of Forests and the Management Authority